रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015 /MAGHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2015

का.आ. 376 (अ).—जबकि केन्द्र सरकार किसी पदार्थ (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री के किसी अम्ल अथवा औषधि मिश्रण के स्वरूप और प्रभाव अथवा दुरुपयोग की गुंजाइश के संबंध में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे यहां उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थ अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री के अम्ल अथवा औषधि मिश्रण को शामिल करना आवश्यक अथवा समायोचित है;

अब, अत: उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थ जोड़ती है; अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 110क तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर मालिकाना नाम	अन्य गैर मालिकाना नाम	रासायनिक नाम
"110ख	मिफिड्रोन	4- मिथाइल मेथकैथीनॉन (4-एमएमसी) 4-मिथाइल फिड्रोन	(आरएस)-2- मिथाइल एलमिनो-1- (4-मिथाइल फिनाइल) प्रोपैन-1- वन".

[फा.सं. एन-11011/2/2014-एनसी-II (1)]
सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट : स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 के का.आ. 785 (अ), के अंतर्गत संशोधित की गई थी तथा बाद में दिनांक 8 जनवरी, 1993 की का.आ. 49 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996 की का.आ. 39 (अ), दिनांक 11 जून, 2003 की सा.का. नि. संख्या 621 (अ), दिनांक 02 जनवरी, 2004 की सा.का.नि. 1 (अ) और 10 फरवरी, 2011 की का.का. संख्या 311 (अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2015

S. O. 376 (E).— Whereas, the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it with respect to the nature and effect of, or the scope of abuse of, any substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substance or material, that it is necessary or expedient to add the following substance or natural material or salt or preparation of such substance or material in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following addition in the list of psychotropic substances specified in the Schedule of the said Act, namely:-

In the Schedule of the said Act, after serial number 110A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

S. No.	International Non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
"110B.	MEPHEDRONE	4-methylmethcathinone (4-MMC) 4-methylephedrone	(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl) propan-1-one".

[F. No. N-11011/2/2014-NC-II (1)]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was amended *vide* S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended by S.O. 49(E) dated 8th January, 1993, S.O. 39(E) dated 12th January, 1996, S.O. 475(E) dated 11th June, 2003, G.S.R. 621(E) dated 1st August, 2003, G.S.R. 1(E) dated 2nd January, 2004 and S. O. 311 (E) dated 10th February, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.